रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 439] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 1, 2019/श्रावण 10, 1941
No. 439] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 1, 2019/ SHRAVANA 10, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2019

सं० 54/2019-सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 545(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 30, 30क, 41, 41क, 53, 54, 56, धारा 98 की उप-धारा (3) और धारा 158 की उप-धारा (2)के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कराते हुये सी.कारगो और ट्रांसशिपमेंट रेग्युलेशन्स, 2018 में संशोधन करने के लिए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ– (1) इन विनियमों को सी कार्गो मैनीफेस्ट एंड ट्रांस शिपमेंट रेग्युलेशन्स, (द्वितीय संशोधन) 2019 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. सी कारगो मैनीफेस्ट एवं ट्रांसशिपमेंट रेग्युलेशन्स, 2018

(i) उपरोक्त विनियम की प्रस्तावना में "एक्सपोर्ट मैनीफेस्ट (वेसल्स) रेग्युलेशन्स, 1976 और ट्रांसपोटेशन ऑफ गुड्स (विदेशी क्षेत्रों से) रेग्युलेशन, 1965 अभिव्यक्तियों के स्थान पर "इम्पोर्ट मैनीफेस्ट" (वेसल्स) रेग्युलेशन्स, 1971 और एक्सपोर्ट मैनीफेस्ट (वेसल्स) रेग्युलेशन्स, 1976 अभिव्यक्तियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) विनियम 2 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे-

‘2. परिभाषाएँ-(1) इन विनियमों में जब तक प्रसंगानुसार अन्यथा आवश्यक न हो-

(क) अधिनियम का अभिप्राय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) होगा,

(ख) “आगमन मैनीफेस्ट” से अभिप्राय उस एकीकृत घोषणा से है, जो किसी प्राधिकृत कैरियर के द्वारा आगमन से पहले या आगमन पर दिया जाना आवश्यक है।

(i) आयातित माल, निर्यात माल या समुद्री माल को लाने वाला जहाज।

(ii) आयातित माल, निर्यात माल को लाने वाले रेलगाड़ी या ट्रक;

(ग) “प्राधिकृत कैरियर” से अभिप्राय ऐसे प्राधिकृत सी कैरियर, प्राधिकृत ट्रेन आपरेटर, अभिरक्षक से है जो विनियम 3 और पोस्टल प्राधिकरण के तहत पंजीकृत हो;

(घ) “प्राधिकृत सी कैरियर’ से अभिप्राय जहाज के ऐसे किसी मालिक जो कि आयातित माल, निर्यात माल या तटीय माल को ले जा रहा हो या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति से है; जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित हो;’

(ङ) “प्राधिकृत ट्रेन ऑपरेटर’ से अभिप्राय ऐसे ट्रेन ऑपरेटर से है जो कि आयातित माल, निर्यात माल ले जा रहा हो’

(च) “अभिरक्षक’ से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसे धारा 45 के उद्देश्य के लिए आयुक्त सीमा शुल्क द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

(छ) “ प्रस्थान मैनीफेस्ट’ से अभिप्राय उस एकीकृत घोषणा से है, जो किसी प्राधिकृत कैरियर के द्वारा निम्नलिखित के प्रस्थान से पहले दिया जाना आवश्यक है-

(i) आयातित माल, निर्यात माल, या तटीय माल के जहाज;

(ii) आयातित माल या निर्यात माल के रेल गाड़ी या ट्रक;

(ज) “ निर्धारित विदेशी मार्ग” से अभिप्राय ऐसे मार्ग से है जो एम भारतीय पोर्ट अन्य भारतीय पोर्ट के बीच हो, जो किसी जहाज द्वारा बांग्लादेश या श्रीलंका की समुद्री सीमा से होकर पार किया गया हो, चाहे वह श्रीलंका या बांग्लादेश के किसी पोर्ट पर आया हो नहीं’

(झ) “फार्म” से अभिप्राय इन विनियमों में संलग्न फार्म से है या आगमन या प्रस्थान मैनीफेस्ट के संबंध में https://www.icegate.gov.in वेवसाइट पर उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से है’

(झ) “न्यायिक आयुक्त सीमा शुल्क” से अभिप्राय सीमा शुल्क आयुक्त से है जिसे विनियम 3 के तहत पंजीकरण प्रदान किया गया हो’

(ट) “डाक प्राधिकारी” से अभिप्राय ऐसे डाक कार्यालय अधिकारी से है जैसा कि भारतीय डाक कार्यालय अधिनियम में परिभाषित किया गया है’

(ठ) “ विशेष आर्थिक क्षेत्र” से अभिप्राय ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र से है जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 (2005 का 28) के अनुसार हो’

(2) इन विनियमों के उद्देश्य के लिए सीमा शुल्क आयुक्त संबंधी किसी भी संदर्भ में प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त का संदर्भ भी शामिल होगा।

(3) यहाँ प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियों जो परिभाषित नहीं किए गए हैं परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका अर्थ क्रमशः वही होगा जो अधिनियम में है।

(क) उपनियम (1) में, निम्नलिखित परन्तुक को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा,-

“बशर्ते कि पोस्टल प्राधिकरण को पंजीकरण के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी जहाँ पोस्टल प्राधिकरण ने आयुक्त, सीमाशुल्क को इन नियमों के तहत व्यापार करने के लिए सूचित कर दिया हो”

(ख) उपनियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियमों को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा,-

“(1क) कोई अन्य व्यक्ति जिसे केंद्र सरकार द्वारा आगमन या प्रस्थान मैनीफेस्ट को भरने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया हो उसे आयुक्त सीमा शुल्क के नाम फार्म-I के साथ दस लाख रुपए के लिए फॉर्म XI में 10 लाख रुपये का एक बॉन्ड और

एक बैंक गारन्टी देनी होगी, या एक पोस्टल सिक्योरिटी या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र या एक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी एक फिक्स डिपोजिट रसीद देनी होगी;

बशर्ते कि किसी प्राधिकृत एकोनोमिक ऑपरेटर को एक बैंक गारन्टी, या एक पोस्टल सिक्योरिटी या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र या एक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी 10 लाख रुपये का एक फिक्स डिपोजिट देने की आवश्यकता नहीं होगी।"

(IV) नियम 4 में,

(क) उपनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

"(1) आयातित माल, निर्यात माल या तटीय माल को लाने वाले प्रत्येक प्राधिकृत सी-कैरियर को यथोचित अधिकारी के पास इलेक्ट्रानिक रूप से आगमन मैनिफ़ेस्ट भरना होगा:

बशर्ते कि जहां **<u>आगमन मैनिफेस्ट या इसके किसी भी भाग को इलेक्ट्रानिक</u>** रूप से भरा जाना संभव न हो, वहाँ ऐसे मैनिफैस्ट या इसके किसी भाग को आयुक्त सीमाशुल्क या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के अनुमोदन से मैन्युअल रूप से दो प्रतियों में भरा जाएगा।

आगे बशर्ते कि जहाज केवल तटीय माल ले जा रहा हो और ऐसे घाटों से ऑपरेट कर रहा हो जो केवल लदान और उतराई बंदरगाहों पर तटीय माल के लिए हैं तो ऐसी अवस्था में अगमान मैनिफैस्ट देने कि आवश्यकता नहीं होगी;

(ख) उपनियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा,-

"(4) **<u>उपनियम (3) में किसी भी बात के होते हुए,</u>** प्राधिकृत सी कैरीयर के लिए क्रमशः फॉर्म VIA और VIB में दी गई सूचना को अपटेड कर सकता हैः

(i) गंतव्य सीमा शुल्क पोर्ट पर अनुमानित आगमन से 48 घंटे पहले- ऐसे जहाज जो पिछले पोर्ट से होकर निकलने और अगले पोर्ट तक पहुँचने के बीच छियान्ववे घंटों से अधिक की यात्रा कर चुका हो;

(ii) गंतव्य सीमा शुल्क पोर्ट पर अनुमानित आगमन से 24 घंटे पहले- ऐसे जहाज जो पिछले पोर्ट से होकर निकलने और अगले पोर्ट तक पहुँचने के बीच अड़तालीस से छियान्ववे घंटों से की यात्रा कर चुका हो;

(iii) गंतव्य सीमा शुल्क पोर्ट पर अनुमानित आगमन से 06 घंटे पहले- ऐसे जहाज जो पिछले पोर्ट से होकर निकलने और अगले पोर्ट तक पहुँचने के बीच अड़तालीस घंटों से कम की यात्रा कर चुका हो;

बशर्ते कि जहाज जो गैर कंटेनरीकृत कार्गो ले जा रहें हो, चाहे कंटेनरीकृत कार्गो ले जा रहें हो या नहीं, प्राधिकृत सी कैरियर गंतव्य सीमा शुल्क पोर्ट पर प्रवेश से पहले आगमन मैनिफेस्ट अपडेट करेगा चाहे यात्रा की अवधि कितनी भी हो;

(V) नियम 5 में-,

(क) उपनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

" (1) एक प्राधिकृत सी कैरीयर जो निर्यातित माल, आयात माल या तटीय माल ले जा रहा हो, पोर्ट से जहाज के प्रस्थान से पहले प्रस्थान मैनीफेस्ट उचित अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से देगाः

बशर्ते कि जहां **<u>प्रस्थान मैनिफेस्ट या इसके किसी भी भाग को इलेक्ट्रानिक</u>** रूप से भरा जाना संभव न हो, वहाँ ऐसे मैनिफैस्ट या इसके किसी भाग को आयुक्त सीमाशुल्क या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के अनुमोदन से मैन्युअल रूप से दो प्रतियों में भरा जाएगा।

आगे बशर्ते कि जहाज केवल तटीय माल ले जा रहा हो और ऐसे घाटों से ऑपरेट कर रहा हो जो केवल लदान और उतराई बंदरगाहों पर तटीय माल के लिए हैं तो ऐसी अवस्था में अगमान मैनिफैस्ट देने कि आवश्यकता नहीं होगी;

(ख) उपनियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित उपनियम को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा,-

"(3) कोई भी प्राधिकृत सी कैरीयर प्रस्थान मैनीफेस्ट को **प्रस्थान के बाद 24 घंटे के अन्दर** अपडेट कर सकता है;

बशर्ते कि जहाज गैर कंटेनरीकृत कार्गो ले जा रहें हो, चाहे कंटेनरीकृत कार्गो ले जा रहें हो या नहीं ले जा रहा हो, प्राधिकृत सी कैरियर प्रस्थान के बाद बहत्तर घंटों के अन्दर प्रस्थान मैनिफेस्ट अपडेट कर सकता है;

(VI) नियम 6 में, उपनियम (1) में,-

(i) खण्ड (ङ) को समाप्त किया जाएगा;

(ii) "पृथक पेज और लदान पोर्टों के आदेश में वर्णित किया जायेगा" शब्दों के स्थान पर, "फॉर्म XII" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(Vii) नियम 7 एवं 8 के लिए निम्नलिखित नियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"7 **आयातित माल या निर्यात माल की ट्रांसशिपमेंटः** एक प्राधिकृत कैरीयर रेलगाड़ी या ट्रक के और प्रस्थान से पूर्व एक प्रस्थान मैनीफेस्ट दाखिल करेगा और रेलगाड़ी या ट्रक के आगमन पर एक आगमन मैनीफेस्ट दाखिल करेगा, जैसा भी मामला हो, इन फॉर्म में मैनीफेस्ट दाखिल करेगा;

(1) एक पोर्ट के बीच आयात या निर्यात माल के शिपमेंट/आईसीडी और इन्लैंड कन्टेनर डिपों/कन्टेनर फ्रेट स्टेशन/विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजैड)/विदेशी डाक कार्यालय और इसके विपरीत के लिए फॉर्म VIII में.

(2) एक पोर्ट और भू-सीमाशुल्क स्टेशन और इसके विपरीत के बीच आयातित माल के ट्रांसशिपमेंट या ट्रांजिट के लिए फॉर्म VIIIक में";

8. आगमन या प्रस्थान मैनीफेस्ट में संशोधन या विलम्ब के लिए माफी- जहाँ आयुक्त, सीमाशुल्क द्वारा मनोनीत उचित अधिकारी संतुष्ट होता हो कि-

(i) आगमन मैनीफेस्ट या प्रस्थान मैनीफेस्ट में किसी प्रकार की गलती या अपूर्ण होना और यह कि मैनीफेस्ट की अन्तर्वस्तु के गलत या अपूर्ण जमा करवाने के लिए कोई कपटपूर्ण आशय नहीं था; या

(ii) इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित समयावधिक के भीतर आगमन मैनीफेस्ट या प्रस्थान मैनीफेस्ट को नहीं दिये जाने का उचित कारण होना,

प्राधिकृत कैरीयर के अनुरोध पर वह यथा मामला आगमन मैनीफेस्ट या प्रस्थान मैनीफेस्ट में संशोधन करने या पूरा करने, या आगमन मैनीफेस्ट या प्रस्थान मैनीफेस्ट या इसके किसी भाग को दाखिल न करने में हुई देरी के लिए माफी के लिए अनुमति दे सकता है।

(Viii) नियम 9 में,

(क) उपनियम (1) में, खण्ड (घ) के लिए निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

"बशर्ते कि आयुक्त, सीमाशुल्क कतिपय मामलों में लिखित रूप में रिकॉर्ड किये गए कारणों के लिए कंटेनर या बंधुआ ट्रक या बंद ट्रक या वैगन को सील किये बिना ट्रांसशिपमेंट की अनुमति देता है

(ख) उपनियम (2) में, "क्षेत्र" शब्द के लिए "मार्ग' शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा

(ix) नियम 10 में,-

(क) उपनियम (1) में,

i. खण्ड (च) में, "क्षेत्र या मार्ग" शब्दों के बाद " इसकी अभिरक्षा के अंतर्गत" शब्दों को सन्निविष्ट किया जाएगा, यथा,-

ii. खण्ड (1) के लिए, निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

"(1) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 या धारा 50 के तहत प्रविष्टियों की जांच के लिए सीमाशुल्क के द्वारा हिरासत में लिए गए माल से लदे कंटेनर पर कोई कंटेनर पर कोई डिटेंशन शुल्क नहीं लगाया जाएगा, यदि प्रविष्टियाँ सही पायी जाती हैं,"

बशर्ते कि प्राधिकृत कैरीयर साठ दिनों की समाप्ति के बाद शुरू समयावधि के लिए कंटेनर डिटेंशन शुल्क के मांग कर सकता है।

(ख) उपनियम (2) के लिए, निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

"(2) प्राधिकृत कैरीयर सीमाशुल्क आयुक्त को सूचित करने के बाद इन नियमों के तहत किसी भी कार्य के लिए, जो उसके द्वारा किया जाना आवश्यक हो, किसी व्यक्ति को अपने ओर से आउटसोर्स कर सकता है। प्राधिकृत कैरीयर या ऐसा व्यक्ति इन नियमों के तहत व्यापार करने के दौरान हुए किसी भी कृत्य या चूक के लिए उत्तरदायी होगा।

(x) नियम 14 के पश्चात, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"15. संक्रमणकालीन प्रावधान (1) नियम 4, 5 और 7 में निहित किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकृत सी कैरीयर इन नियमों के लागू होने से 45 दिनों की समयावधि तक क्रमशः फॉर्म VIक या VIख और फॉर्म VIIक या VIIख में कार्गो घोषणा दे सकता है, या फॉर्म VIII या VIIIक में आगमन और प्रस्थान मैनीफेस्ट को दाखिल कर सकता है।

इन नियमों में निहित किसी बात के होते हुए भी प्राधिकृत सी कैरीयर इम्पोर्ट मैनीफेस्ट (वैसल्स) रेग्युलेशन्स, 1971 में विनिर्दिष्ट फॉर्म III और एक्सपोर्ट मैनीफेस्ट (वैसल्स) रेग्युलेशन्स, 1976 में विनिर्दिष्ट फॉर्म I में कार्गो घोषणा दाखिल करना 01 नवम्बर 2019 तक जारी रखेगा, जैसा कि इन नियमों के लागू होने से पूर्व प्रयोज्य था ।

(xi) फॉर्म VIII के बाद निम्नलिखित फॉर्म-VIIIA सन्निविष्ट किया जायेगा, यथा-

फॉर्म- VIIIक

[देखें नियम 7]

I. <u>आयातित माल का पोर्ट और लैंड कस्टम्स स्टेशन्स के बीच ट्रांसशिपमेंट:</u>

(क) प्रस्थान मैनीफेस्ट जिसे पोर्ट पर भरा जाना है:

प्राधिकृत कैरीयर कोड:				प्राधिकृत कैरीयर की बॉन्ड सं.				
पोर्ट:				प्रस्थान मैनीफेस्ट सं. और तारीख: स्व चलित				
क्रम सं.	आगमन मैनीफेस्ट सं./तारीख, जिसके द्वारा कार्गो पोर्ट पर आया था।	लाइन सं.	माल का विवरण	कन्टेनर सं. तथा कस्टम्स सील सं.	ट्रेन सं./ट्रक सं.	गन्तव्य स्थान	निवल वजन तथा सकल वजन, कन्टेनर में न बंद कार्गो के मामले में	पोर्ट से बाहर निकलने का समय

(ख) आगमन मैनीफेस्ट जिसे लैंड कस्टम्स स्टेशन पर भरा जाना है:

प्राधिकृत कैरीयर कोड:				प्राधिकृत कैरीयर की बॉन्ड सं.			
लैंड कस्टम्स स्टेशन:				आगमन मैनीफेस्ट सं. तथा तारीख: स्व चलित			
क्रम सं.	प्रस्थान मैनीफेस्ट, जिसे पोर्ट पर भरा गया था	प्रस्थान मैनीफेस्ट की तारीख	ट्रेन सं./ट्रक सं.	कन्टेनर तथा कस्टम्स सील सं.	माल का विवरण	निवल वजन तथा सकल वजन, कन्टेनर में न बंद कार्गो के मामले में	प्रवेश का समय तथा तारीख

II. <u>आयातित माल का लैंड कस्टम्स स्टेशन से पोर्ट तक ट्रांसशिपमेंट:</u>

(क) प्रस्थान मैनीफेस्ट जिसे लैंड कस्टम्स स्टेशन पर भरा जाना है:

प्राधिकृत कैरीयर कोड:				प्राधिकृत कैरीयर की बॉन्ड सं.			
लैंड कस्टम्स स्टेशन (एलसीएस):				प्रस्थान मैनीफेस्ट सं. और तारीख: स्व चलित			
क्रम सं.	आयात रिपोर्ट सं. जिसके तहत कार्गो एलसीएस तक पहुँचा हो	कन्टेनर सं. तथा कस्टम्स सील सं.	गन्तव्य	माल का विवरण	ट्रेन सं./ट्रक सं.	निवल वजन तथा सकल वजन, कन्टेनर में न बंद कार्गो के मामले में	निकासी का समय

(ख) आगमन मैनीफेस्ट जिसे पोर्ट पर भरा जाना है:

प्राधिकृत कैरीयर कोड:				प्राधिकृत कैरीयर की बॉन्ड सं.		
पोर्ट:				आगमन मैनीफेस्ट सं. तथा तारीख: स्व चलित		
क्रम सं.	प्रस्थान मैनीफेस्ट जो पोर्ट पर भरा गया हो और तारीख	माल का विवरण	कन्टेनर सं. तथा कस्टम्स सील सं.	ट्रेन सं./ट्रक सं.	निवल वजन तथा सकल वजन, कन्टेनर में न बंद कार्गो के मामले में	प्रवेश का समय और तारीख

II. आयातित माल का लैंड कस्टम्स स्टेशन से पोर्ट तक ट्रांसशिपमेंट:

(ग) प्रस्थान मैनीफेस्ट जिसे लैंड कस्टम्स स्टेशन पर भरा जाना है:

प्राधिकृत कैरीयर कोड:				प्राधिकृत कैरीयर की बॉन्ड सं.			
लैंड कस्टम्स स्टेशन (एलसीएस):				प्रस्थान मैनीफेस्ट सं. और तारीख: स्व चलित			
क्रम सं.	आयात रिपोर्ट सं. जिसके तहत कार्गो एलसीएस	कन्टेनर सं. तथा कस्टम्स सील सं.	गन्तव्य	माल का विवरण	ट्रेन सं./ट्रक सं.	निवल वजन तथा सकल वजन, कन्टेनर में न बंद कार्गो के मामले में	निकासी का समय

	तक पहुँचा हो						

(घ) आगमन मैनीफेस्ट जिसे पोर्ट पर भरा जाना है:

प्राधिकृत कैरीयर कोड:				प्राधिकृत कैरीयर की बॉन्ड सं.		
कस्टम्स स्टेशन्स				आगमन मैनीफेस्ट सं. तथा तारीख: स्व चलित		
क्रम सं.	प्रस्थान मैनीफेस्ट जो पोर्ट पर भरा गया हो और तारीख	माल का विवरण	कन्टेनर सं. तथा कस्टम्स सील सं.	ट्रेन सं./ट्रक सं.	निवल वजन तथा सकल वजन, कन्टेनर में न बंद कार्गो के मामले में	प्रवेश का समय और तारीख

(xi) फॉर्म X के बाद निम्नलिखित फॉर्म-XI और फॉर्म XII सन्निविष्ट किया जायेगा, यथा-

फॉर्म – XI

(देखें नियम 3 (1क)

सर्वजन को विदित हो कि हम भारत के राष्ट्रपति के प्रति 10 लाख रुपये के भुगतान के लिए बाध्य होते हैं जिसके लिए हम एततद्वारा अपने को, और इसके लिए हममें से प्रत्येक स्वयं को या अपने उत्तराधिकारी को या अपने अधिशासी को या प्रसाशक को दिनांक .... (माह) .... (सन) .... को बाध्य करते हैं।

जहाँ कि उक्त .... कार्गो मैनीफेस्ट एन्ड ट्रांसशिपमेंट रेग्युलेशन, 2019 (समुद्र) के अतर्गत प्राधिकृत कैरीयर के रूप में काम करने के लिए पंजीकृत है और उक्त .... ने उक्त विनियम में यथा आवश्यक बॉन्ड को भरने के लिए सहमत है।

और जहाँ कि उक्त .... ने अपने तथा अपने कर्मचारी विश्वसनीय व्यवहार के लिए उक्त विनियम के अनुसार राष्ट्रपति के पास 10,00,000/- रुपये (दस लाख रुपये मात्र) जमा कर दिया है।

अब उपर्युक्त लिखित बॉन्ड की शर्त यह है कि यदि उक्त .... और उसके कर्मचारी उपर्युक्त पंजीकरण की अवधि तक इस विनियम के अनुसार विश्वसनीय ढंग से व्यवहार करेंगे और यदि उक्त .... और उनके निष्पादक या प्रशासक उक्त विनियमों के अंतर्गत अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाते हैं तो .... सरकार को माफ किये जाने पर उक्त 10,00,000 रुपये की राशि अदा करेंगे।

और ऐसे भुगतान के पश्चात उपर्युक्त लिखित दायित्व शून्य हो जायेगा और इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा अन्यथा यह पूरी तरह लागू रहेगा।

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा दिनांक .... (माह) .... (सन) .... को हस्ताक्षरित, मुहरबंद और प्रदत्त।

1. ....

2. ....

राष्ट्रपति के प्रति और उनकी ओर से स्वीकृत
प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क/आयुक्त, सीमाशुल्क का हस्ताक्षर

फॉर्म- XII

[देखें नियम 6]

<table>
<tr><td>क्रम सं.</td><td colspan="3">क्षेत्र का विवरण</td><td>अभ्युक्ति</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td colspan="3">सोने और चांदी का ब्यौरा</td><td></td></tr>
<tr><td>सोने और चांदी का स्वरूप</td><td>भार</td><td>मूल्य</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td colspan="3">अस्त्र एवं शस्त्र</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>क्रम सं.</td><td>प्रकार</td><td>मात्रा</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.</td><td colspan="3">विस्फोटक</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>क्रम सं.</td><td>प्रकार</td><td>मात्रा</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4.</td><td colspan="3">स्वापक और मनः प्रभावी पदार्थ</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>क्रम सं.</td><td>प्रकार</td><td>मात्रा</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="3">रेडियोधर्मी पदार्थ</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>क्रम सं.</td><td>प्रकार</td><td>मात्रा</td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="3">अन्य कोई घोषणा जो, सीमाशुल्क अधिनियम या तत्समय लागू अन्य किसी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत की जाये</td><td></td></tr>
</table>

[फा.सं. 450/58/2015-Cus-IV]

जुबेर आर. कामिली, निदेशक (सीमाशुल्क)

नोटः प्रधान नियमों को सा.का.नि. 448 (अ) दिनाँक 11 मई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II , खण्ड 3 उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 17/2019- सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनाँक 27-02-2019, सा.का.नि. 165(अ), दिनाँक 27 फरवरी, 2019 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2019

No. 54/2019-Customs (N.T.)

G.S.R. 545(E).—In exercise of the powers conferred by section 157, read with sections 30, 30A, 41, 41A, 53, 54, 56, sub-section (3) of section 98 and sub-section (2) of section 158 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Sea Cargo Manifest and Transhipment Regulations, 2018, namely: -

1. Short title and commencement. - (1)These regulations may be called the Sea Cargo Manifest and Transhipment (Amendment) Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Sea Cargo Manifest and Transhipment Regulations, 2018, -

(i) in the opening paragraph of the said regulations, for the words and figures, "Export Manifest (Vessels) Regulations, 1976 and Transportation of Goods (Through Foreign Territory) Regulations, 1965", the words and figures"and Export Manifest (Vessels) Regulations, 1976" shall be substituted;

(ii) for the regulation 2, the following regulation shall be substituted, namely: -

'2. Definitions. - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(b) "arrival manifest" means an integrated declaration required to be delivered by an authorised carrier before or on arrival of, -

(i) the vessel carrying imported goods, export goods, or coastal goods or

(ii) a train or a truck carrying imported goods or export goods;

(c) "authorised carrier" means an authorised sea carrier, authorised train operatoror a custodian, registered under regulation 3 and postal authority;

(d) "authorised sea carrier" means the master of the vessel carrying imported goods, export goods and coastal goods or his agent, or any other person notified by the Central Government;

(e) "authorised train operator" means the train operator carrying imported goods and export goods;

(f) "custodian" means a person approved by the Principal Commissioner or the Commissioner of customs, for the purposes of section 45 of the Act;

(g) "departure manifest" means an integrated declaration required to be delivered by an authorised carrier before departure of:

(i) a vessel carrying imported goods, export goods or coastal goods; or
(ii) a train or truck carrying imported goods or export goods;

(h) "designated foreign route" means the sea route between an Indian port and another Indian port, traversed by a vessel, through the territorial waters of Sri Lanka or Bangladesh, whether or not calling any port in Sri Lanka or Bangladesh in between;'

(i) "Form" means a Form appended to these regulations or the corresponding electronic form provided at the website https://www.icegate.gov.in in relation to filing of arrival and departure manifest;'

(j) "Jurisdictional Commissioner of customs" means the Commissioner of customs who has granted registration under regulation 3;

(k) "postal authority" means an 'officer of the Post Office' as defined in The Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898);

(l) "Special Economic Zone (SEZ)" means special economic zone as per the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005);

(2) Any reference to a Commissioner of customs shall also include a reference to Principal Commissioner of customs for purposes of these regulations.

(3) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act;';

(iii) in regulation 3, -

(a) in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that thepostal authorityshall not berequired to apply for the registration in case such authority intimatesto the jurisdictional Commissioner of customs in writing,totransact business underthese regulations.";

(b) after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

"(1A) Any other personnotified by the Central Government for the purposes of filing arrival or departure manifest, shall be required to enter into a bond ofrupees ten lakh in Form- XI and furnish a bank guarantee, or a postal security or National Saving Certificate or a fixed deposit

receipt issued by a Nationalised bank, in the name of the Commissioner of Customs, for an amount of rupees ten lakhs alongwith Form-I:

Provided that any Authorised Economic Operator (AEO)shall not be required to furnish a bank guarantee, or a postal security or National Saving Certificate or a fixed deposit receipt issued by a Nationalised bank for an amount of ten lakh rupees.";

(iv) in regulation 4, -

(a) for the sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

"(1) An authorised sea carrier carrying imported goods, export goods, or coastal goods shall deliver the arrival manifest to the proper officer electronically:

Provided that where it is not practicable to deliver the arrival manifest or any part thereof electronically, then the manifest or any partthereof shall be submitted manually in duplicate with the approval of the Commissioner of customs or any other officer authorised by him:

Provided further thatfor the vessels carrying only coastal goods and operating from exclusive berths meant for coastal goods at the loading as well as the unloading ports, there shall be no requirement of delivering arrival manifest.";

(b) after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

"(4) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (3), the authorised sea carrier may update the information furnished in Form- VIA and Form- VIB,-

(i) before 48 hours of expected arrivalat the destination customs port,for the vessels on voyage of more than ninety-six hours between departure from the last port of call and arrival at the next port;

(ii) before24 hours of expected arrivalat the destination customs port,for the vessels on voyage of forty-eight to ninety-six hours between departure from the last port of call and arrival at the next port;

(iii) before 6 hours of expected arrival at the destination customs portfor the vessels on voyage of less than forty-eight hours between departure from the last port of call and arrival at the next port:

Provided that for vessels carryingnon-containerized cargo, whether or not carrying containerized cargo,the authorised sea carrier may, irrespective of thevoyage duration, update the arrival manifest before entry inwards at the destination customs port.";

(v) in regulation 5, -

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

"(1)An authorised sea carrier carrying imported goods, export goods or coastal goods, shall before the departure of the vessel from the port, deliver the departure manifest to the proper officer electronically:

Provided that where it is not practicable to deliver the departure manifest or any part thereof electronically, then the manifest or any part thereof shall be submitted manually in duplicate with the approval of the Commissioner of Customs or any other officer authorised by him:

Provided further thatfor the vessels carrying only coastal goods and operating from exclusive berths meant for coastal goods at the loading as well as the unloading ports,there shall be no requirement of delivering departure manifest.";

(b) after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

"(3) Any authorised sea carrier may update the departure manifest withintwenty-four hours after departure:

Provided that, for vessels carrying non-containerized cargo, whether or not carrying containerized cargo, the authorised sea carrier may update the departure manifest withinseventy-two hours after departure.";

(vi) in regulation 6, in sub-regulation (1), -

(i) the clause (e) shall be omitted;

(ii) for the words "separate sheets and shall be set out in the order of the ports of loading", the words "Form- XII" shall be substituted;

(vii) for the regulations 7 and 8, the following regulations shall be substituted, namely: -

"7. **Transhipment of imported goods or export goods. -** An authorised carrier shall file a departure manifest before the departure of a train or a truck and arrival manifest upon arrival of the train or truck, as the case may be, -

(1) in Form-VIII for purposes of transhipment of imported or export goods between a port /ICD and Inland Container Depot / Container Freight Station / Special Economic Zone (SEZ)/ Foreign post Office and vice versa.

(2) in Form-VIIIA for the purposes of transhipment or transit of imported goods between a port and Land Customs station and vice versa.

8. Amendment of arrival or departure Manifest or Condonation of delay. -Where any officer authorisedby the Commissioner of customs is satisfied that-

(i) the arrival manifest or departure manifest is in any way incorrect or incomplete, and that there was no fraudulent intention towards incorrect or incomplete submission as regards the contents thereof; or

(ii) there was sufficient cause for not delivering the arrival manifest or the departure manifest or partthereofwithin the time period specified in these regulations,

then he may permitto amend or supplement the arrival or departure manifest, or condone the delay for not filing the arrival or departure manifest or part thereof, as the case may be, at the request of the authorised carrier."

(viii) in regulation 9, -

(a) in sub-regulation (1), for the clause (d), the followingclause shall be substituted, namely: -

"(d) in case of imported goods or export goods meant for transhipment by land route, the officer authorised by the Commissioner of customs, shall seal the container or the bonded truck or covered truck or wagon, as the case may be, before permitting such transhipment:

Provided that Commissioner of custom may, in certain cases, allow transhipment without sealing the container or the bonded truck or covered truck or wagon, for reasons to be recorded in writing.";

(b) in sub-regulation (2), for the word "territory", the word "route" shall be substituted.";

(ix) in regulation 10,-

(a) in sub-regulation (1), -

(A) in clause (f), after the words "area or enroute", the words ", under its custody" shall be inserted;

(B) for the clause (l), the following clause shall be substituted, namely: -

"(l) not demandany container detention chargesfor the containers laden with the goodsdetained by customs for purpose of verifying the entries made under section 46 or section 50 of the Act, if the entries are found to be correct.

Provided that the authorised carrier may demand, container detention charges for the period, commencing after expiry of sixty days.";

(b) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

"(2) The authorised carrier, after intimation to the Commissioner of customs, may outsource any function, required to be carried out by him under these regulations, to any other person on his behalf. The authorised carrier and such person shall be liable for any act of commission or omission while transacting business under these regulations.";

(x) after regulation 14, the following regulation shall be inserted, namely:-

"15. **Transitional provisions.**–(1)Notwithstanding anything contained in regulations 4, 5 and 7, the authorised carrier may deliver the cargo declaration in Form-VIA or Form-VIB and Form-VIIA or Form-VIIB or arrival and departure manifest in Form-VIII or Form-VIIIA, for the period of forty-five days from the date of commencement of these regulations.

(2)Notwithstanding anything contained in these regulations,the authorised sea carrier shall continue to deliver the cargo declaration in Form III of theImport Manifest (Vessels) Regulations,

1971 and Form I of the Export Manifest (Vessels) Regulations, 1976,in the manner as wasapplicable before the commencement of these regulations,till 1st November, 2019.";

(xi) after Form VIII, the following Form- VIIIA shall be inserted, namely: -

"Form- VIIIA
[See regulation 7]

I. Transhipment of Imported Goods between Port to Land Customs Station:

(a) Departure Manifest to be filed at port:

Authorised Carrier Code:				Bond No. of Authorised Carrier				
Port:				Departure Manifest No. and Date: Auto generated				
Sl. No.	Arrival Manifest No./ date by which cargo arrived at port	Line no.	Goods description	Container No. & Customs Seal No.	Train No./ Truck No.	Destination	Net Wt. & Gross Wt. in case of non-containerized cargo	Gate Out Time from the Port

(b) Arrival Manifest to be filed at Land Customs Station:

Authorised Carrier Code:				Bond No. of Authorised Carrier			
Land Customs Station:				Arrival Manifest No. and Date: Auto generated			
Sl. No.	Departure manifest filed at Port	Date of departure manifest	Train No./ Truck No.	Container No. & Customs Seal No.	Goods description	Net Wt. & Gross Wt. in case of non-containerized cargo	Gate in Time & date

II. Transhipment of Imported Goods from Land Customs Station to Port:

(a) Departure Manifest to be filed at Land Customs Station:

Authorised Carrier Code:				Bond No. of Authorised Carrier			
Land Customs Station (LCS):				Departure Manifest No. and Date: Auto generated			
Sl. No.	Import report no. by which cargo arrived at LCS	Container No. & Customs Seal No.	Destination	Goods description	Train No./Truck No.	Net Wt. & Gross Wt. in case of non-containerized cargo	Gate Out Time

(b) Arrival Manifest to be filed at port

Authorised Carrier Code:				Bond No. of Authorised Carrier		
Port:				Arrival Manifest No. and Date: Auto generated		
Sl. No.	Departure manifest filed at Port	Goods description	Container No. & Customs Seal No.	Train No./Truck No	Net Wt. & Gross Wt. in case of non-containerized	Gate in Time & Date";

	and date				cargo	

(xii) after the Form- X, the following Form- XIand Form- XII shall be added, namely: -

"Form – XI
(See regulation 3 (1A)

Know all men by these present that we are held and firmly bound to the President of India in the sum of Rs. ten lakhs for payment whereof we hereby bind ourselves, and each of us bind himself and each of our heirs, executors and administrators firmly by these present dated this ………………….. day of …………………..in the year two thousand…………………..

Whereas the said ………………….. has been registered to act as an authorised carrier under Sea Cargo Manifest and Transhipment Regulations, 2018and the said ………………….. has agreed to enter into this bond as required by under the said regulations.

And whereas the said ………………….. has deposited the sum of Rs. 10,00,000/- (Rupees ten lakhs) only with the President of India as security for his faithful behaviour and that of his employees as regard the said regulations.

Now the condition of the above written bond is such that if the said ………………….. and his employees do at all times, whilst holding, such registration as aforesaid, behave themselves in a faithful manner as regards the said regulations and if the said ………………….. and their executors or administrator fails to comply the obligations under the said regulations, ... shall forthwith pay to the Government on demand the said sum of Rs. Ten lakhs.

AND upon making such payment, the above written obligations shall be void and of no effect, otherwise it shall be and remain in full force and virtue.

Signed, sealed and delivered by the above named on this day, the ………………….. of 20……….. in the presence of witnesses.

1. ………………….…………………..

2. ………………….…………………..

Accepted for and on behalf of the President of India

Signature of the Principal Commissioner of Customs/Commissioner of Customs

FORM- XII

[See regulation 6]

<table>
<tr><td>Sl. No.</td><td colspan="3">Field Description</td><td>Remarks</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td colspan="3">Details of Gold & Silver</td><td></td></tr>
<tr><td>Form of Gold& Silver</td><td>Weight</td><td>Value</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td colspan="3">Arms & Ammunitions</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>Sl. No.</td><td>Type</td><td>Quantity</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6.</td><td colspan="3">Explosives</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>Sl. No.</td><td>Type</td><td>Quantity</td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="3">Narcotics and psychotropic substances</td><td></td></tr>
</table>

	Sl. No.	Type	Quantity	
5.	Radio-active material			
	Sl. No.	Type	Quantity	
6.	Any other declaration which, under the provisions of the Customs Act or any other Act for the time being in force”.			

[F. No. 450/58/2015- Cus-IV]

ZUBAIR R. KAMILI, Director (Customs)

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 448(E), dated the 11th May, 2018 and were last amended *vide* notification No. 17/2019-Cus. (N.T.), dated 27-2-2019 *vide* number G.S.R. 165(E), dated the 27th February, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.08.01 18:34:36 +05'30'